कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला बस्तर जगदलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक क/भू–अर्जन/01/अ–82/2023–24 जगदलपुर ,दिनांक 02 जनवरी, 2024

प्रति,

1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जगदलपुर।
2.आयुक्त, नगर पालिक निगम
जगदलपुर

आवक क्र. 649 दिनांक 21/01/2024
शाखा का नाम.......
लिपिक आयुक्त

विषयः– भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन ।

--00--

आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर द्वारा दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18, विद्या ज्योति स्कूल के सामने से गायत्री नगर तक (चित्रकोट रोड बिनाका माल के सामने गली) में रोड एवं नाली निर्माण कार्य हेतु ग्राम जगदलपुर देहात, प0ह0नं0 05, राजस्व निरीक्षक मंडल जगदलपुर, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर स्थित निजी भूमि कुल रकबा 0.053 हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) संबंधी प्रारंभिक अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न अधिसूचना का प्रकाशन जनपद कार्यालय के साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र में कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(विजय दयाराम के)
कलेक्टर
जिला बस्तर

Basant Kumar
3/1/2024

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला बस्तर, जगदलपुर

//प्रारंभिक अधिसूचना//

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2023-24 जगदलपुर, दिनांक 02 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) मे उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

-अनुसूची-

भूमि का प्रकार					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/. प0ह0नं0	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर देहात/05	99/1/4	0.053	आयुक्त, नगरपालिक जगदलपुर	दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18, विद्या ज्योति स्कूल के सामने से गायत्री नगर तक (चित्रकोट रोड बिनाका माल के सामने गली) में रोड एवं नाली निर्माण

2/ यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के आचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के आरे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी को स्वयं अथवा आपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2023 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4/ प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नही है।

5/ प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात लाभ अधिक होना पाया गया है।

6/ प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (रा) जगदलपुर को पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(विजय दयाराम के)
कलेक्टर, जिला बस्तर
एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0 शासन राजस्व विभाग

Scanned with CamScanner